कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

वकालतनामा (1) (87)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0 प्र0)

निग-544-II-16

लक्ष्मन प्रसाद तनय वालादीन कुर्मी

साकिन ग्राम भैरोगंज (लुगासी) तहसील नौगांव

जिला छतरपुर (म0प्र0) — — निगरानीकर्ता

श्री रजनी ... द्वारा आज दि. 15-02-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

|| विरुद्ध ||

म0 प्र0 शासन — — उत्तरवादी

निगरानी/आवेदन पत्र अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू-अभिलेख छतरपुर के प्रकरण क्रमांक - 6 /अ- 6 अ/2014-2015 के पारितार्थ में आदेश दिनांक 08/05/2015 :-

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1) यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान अधीक्षक-भू-अभिलेख छतरपुर जिला छतरपुर, म0प्र0 के समक्ष लक्ष्मन प्रसाद तनय वाला-दीन कुर्मी द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी जमीन स्थित मौजा लुगासी खसरा नंबर क्रमशः : (1) 3722/1 रकवा 0.809 हे0, (2) 3722/2 रकवा 0.909 हे., (3) 3728 रकवा 0.717 हे0, (4) 3729 रकवा 0.615 हे0, (5) 3744 रकवा 0.474 हे0 एवं खसरा नंबर (6) 3745 रकवा 0.567 हे. कुल किता 06 कुल रकवा 3.991 हे0 थी। जो बन्दोबस्त के पश्चात खसरा नंबर 3733/1, 3722/2, 3728 एवं 3729 नवीन खसरा नंबर 5973 रकवा 2.940 हे0 बनाया गया किन्तु नवीन निर्मित खसरा नंबर 5973 की आकृति वर्तमान नक्शा में जो दर्शायी गयी वह राजस्व अभिलेख में दर्ज रकवा के मान से कम है। इसलिये निगरानीकर्ता द्वारा आवेदन में नक्शा सुधार हेतु आवेदन दिया।

शाखा प्रभारी (रा.अ.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

2) यह कि, बन्दोबस्त के बाद निगरानीकर्ता के साबिक नम्बर

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र बालादीन कुर्मी ग्राम भैरागंज नौगाव विरूद्ध म0प्र0शासन

प्रकरण कमांक 544 – दो / 16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
16-2-16	यह निगरानी अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक ६ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दि. ८-५-२०१५ के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ३/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक ने अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि बंदोवस्त के दौरान उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर ३७२२/१ रकबा ०.८०९ हैक्टर, ३७२२/२ रकबा ०.९०९ हैक्टर, ३७२८ रकबा ०.७१७ हैक्टर, ३७२९ रकबा ०.६१९ हैक्टर, ३७४४ रकबा ०.४७४ हैक्टर , ३७४५ रकबा ०.५६७ हैक्टर कुल किता ६ कुल रकबा ३.९९१ हैक्टर है जिसमें से सर्वे नंबर ३७२२/१ , ३७२२/२ , ३७२८, ३७२९ का नवीन सर्वे नंबर ५९७३ रकबा २.९४० हैक्टर बनाया गया है किन्तु नवीन नंबर ५९७३ की नक्शे में आकृति रकबा २.९४० हैक्टर से कम बनी है जिसे दुरूस्त किया जाय। अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर ने प्रकरण कमांक ६ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक ८-५-२०१५ से तदाशय का सँशोधन करना स्वीकार किया, परन्तु अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर के आदेश दिनांक ८-५-२०१५ का पालन नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ४/ अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर ने प्र.क. ६ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दि. ८-५-२०१५ के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उक्तांकि भूमि की मौके की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-	

-3- R 544. III/16

"राजस्व निरीक्षक सर्वेक्षणकर्ता व्दारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबरान के सम्बन्ध में वर्तमान अभिलेख , नक्शा की स्थिति, स्थल स्थि एंव मौका कब्जा स्थिति अनुसार अभिलेख अद्यतन किये जाने सम्बन्ध में परिवर्तित सॅशोधन तालिका बंदोबस्त पूर्व की स्थिति एंव बंदोवस्त पश्चात् की स्थिति तथा मौका कब्जा की स्थिति को दर्शाते हुये विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। परिवर्तित सॅशोधन तालिका – बंदोवस्त के पश्चात निर्मित अभिलेख में स्थल की स्थिति एंव मौका कब्जा की स्थिति को ध्यान में न रखते हुये साबिक नंबर दो हाल नंबरों का जो निर्माण किया गया है उसमें अभलेख में बनाई गई आकृति के रकबा में भिन्नता है साविक नंबर से हाल नंबरों का निर्माण भी नहीं किया गया है जो बंदोवस्त की त्रृटि है।"

अधीक्षाक भू अभिलेख, जिला छतरपुर ने निर्णय लिया है कि स्थल का सर्वेक्षण के समय प्रश्नाधीन सर्वे नंबरान की स्थिति में मौका कब्जा एंव अभिलेख में दर्ज रकबा के अनुसार स्थल पर तथा नक्शा में बनाई गई आकृ ित मे भिन्नता होने से उसको सही स्थिति किये जाने की दृष्टि से संशोधन परिवर्तन तालिका प्रदर्श-पी-१ जो आदेश का अंश भाग माना जाये तद्नुसार सर्वेक्षणकर्ता को अभिलेख तैयार किये जाने का तथा साथ में म०प्र०शासन के अभिलेख में दर्ज रकबा में कमी न करने का आदेश पारित किया जाता है।

५/ अधीक्षाक भू अभिलेख, जिला छतरपुर (राजस्व अधिकारी) व्दारा वास्तविक स्थिति पर आधारित अनुसार पारित उक्तादेश का अधीनस्थों व्दारा अमल न किया जाना कृषकों के साथ न्याय न देने की स्थिति दर्शाता है क्योंकि अपील/निगरानी के अभाव में अधीक्षाक भू अभिलेख, जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक ६ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक ८-५-२०१५ अंतिमता ले चुका है जिसका पालन अनिवार्य है। तद्नुसार निगरानी स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं कि अधीक्षाक भू अभिलेख, जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक ६ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक ८-५-२०१५ का अमल अभिलेख में कराया जाय।

सदस्य